29/5/25 अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र U/O 7 R 11 CPC दिनांकित 19/11/25 का निस्तारण किया जा रहा है। सहित प्रार्थना पत्र सुनी जा चुकी है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराया और आदेश दिनांक 26/9/25 को रिव्यू किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने उक्त तर्कों का विरोध कर अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। सुना गया। तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण दिनांक 26/9/25 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 CPC का बहस उपरान्त अस्वीकार किया था। अब प्रतिवादीगण ने उक्त आदेश को रिव्यू करने का अनुरोध किया है। जो आधार रिव्यू के बताये गये हैं वह संतोषजनक नहीं है न ही रिव्यू की परिधि में आते हैं। यहां केवल अपने हित तक यह तर्क है कि वादी के द्वारा न्यायालय के मत के प्रतिकूल पेश किये हैं तो संबंधित हस्तांतरण से प्रतिवादी स्वयं अपने हितों को स्वतंत्र है। अतः उपरोक्त प्रकरण में प्रेषित नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण वादी की गवाही हेतु है। प्रकरण में वादी की गवाही हेतु है। अतः आगामी पेशी पर वादी उपस्थित आवे व प्रतिवादीगण विरुद्ध कोई अन्य अवसर नहीं दिये जायेंगे। पत्रावली वास्ते गवाह वादी दिनांक 6/7/25 को पेश हो।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या-03, बाड़ी (धौलपुर)